संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

क्रमांक/एफ 2–12/2012/100 रायपुर, दिनांक 14/02/2012

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
छत्तीसगढ़।

विषय :– आपके जिले के विकास खण्ड व मुख्यालय स्तर पर स्थित चिकित्सालय (सामु. स्वा.केंद्रो)में खण्ड चिकित्सा अधिकारी पदस्थ करने संबंधी प्रस्ताव बावत।

संदर्भ :– मान. सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अपने कक्ष में दिये गये निर्देश दिनांक 14.02.2012 के संदर्भ में।

आपको ज्ञात होगा की खण्ड चिकित्सा अधिकारी का पद प्रथम श्रेणी का हो गया हैं। आपके अधीन जिले के विकासखण्डो में कार्यरत चिकित्सकों में वरिष्ठता के आधार पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी बनाये जाने का प्रस्ताव संचालनालय प्रेषित करना अनिवार्य हैं। इसमें वरिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य हैं।

14/2/12

प्रभारी संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

14/2/12

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9-2/2011/1-3 रायपुर, दिनांक [illegible] 2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, रायपुर।

विषय :- नियमित रिक्त पदों पर चालू कार्यभार सौंपे जाने के संबंध में नीति-निर्देश।

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा पदोन्नति/सीधी भरती के पदों पर वरिष्ठतम योग्य व्यक्तियों को चालू कार्यभार सौंपने की पद्धति न अपनाकर [illegible] के कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दे दिया जाता है। यह स्थिति निर्माण विभागों में [illegible] है जहां कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों का प्रभार लंबे समय से ग्रहण किए हुए हैं। कुछ [illegible] 02 से 04 वर्ष तक भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति से पदों की पूर्ति नहीं की गयी और न ही सीधी भरती के माध्यम से पदों की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए हैं।

2/ अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि विभागों द्वारा वरिष्ठ पद पर चालू [illegible] भार सौंपने में अनिवार्यतः वरिष्ठता-सह-योग्यता के मापदण्ड अपनाये जाएं तथा जो अधिकारी पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आ रहे हैं व अन्य मापदण्डों के अनुसार पदोन्नति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं उन्हें ही चालू प्रभार सौंपा जाए। वरिष्ठता क्रम में ऊपर के अधिकारियों को बिना किसी युक्तियुक्त प्रशासकीय कारण से बाईपास करते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यभार न सौंपा जाए।

3/ जिन विभागों में इस तरह के कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों के प्रभार में हैं, उन्हें प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तत्काल भारमुक्त करें और वरिष्ठ एवं योग्य अधिकारियों को ही प्रभार दें।

4/ इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(निधि छिब्बर)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-3

प्रति,

रायपुर, दिनांक [illegible], 2011

अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, रायपुर।

विषय :- नियमित रिक्त पदों पर चालू कार्यभार सौंपे जाने के संबंध में नीति-निर्देश

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा पदोन्नति/सीधी भरती के पदों पर वरिष्ठतम योग्य व्यक्तियों को चालू कार्यभार सौंपने की पद्धति न अपनाकर [illegible] के कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दे दिया जाता है। यह स्थिति निर्माण विभागों में अधिक है जहां कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों का प्रभार लंबे समय से ग्रहण किए हुए हैं। कुछ विभागों में 02 से 04 वर्ष तक भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति से पदों की पूर्ति नहीं की गयी और न ही सीधी भरती के माध्यम से पदों की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए हैं।

2/ अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि विभागों द्वारा वरिष्ठ पद पर चालू प्रभार सौंपने में अनिवार्यतः वरिष्ठता-सह-योग्यता के मापदण्ड अपनाये जाएं तथा जो अधिकारी पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आ रहे हैं व अन्य मापदण्डों के अनुसार पदोन्नति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं उन्हें ही चालू प्रभार सौंपा जाए। वरिष्ठता क्रम में ऊपर के अधिकारियों को बिना किसी युक्तियुक्त प्रशासकीय कारण से बाईपास करते हुए कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यभार न सौंपा जाए।

3/ जिन विभागों में इस तरह के कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ पदों के प्रभार में हैं उन्हें प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तत्काल भारमुक्त करें और वरिष्ठ एवं योग्य अधिकारियों को ही प्रभार दें।

4/ इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(निधि छिब्बर)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(35)

Annexure-P/4

~~Annexure-AD/2~~

~~Annexure-P/42~~

(19)

दालंनालय स्वास्थ्य सेवाएं
छत्तीसगढ़
23 III
आवक क्रमांक 2169
प्रति

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 17 /स.स्वा./छ.ग./2008

रायपुर, दिनांक 23/07/2008

प्रति,
संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिपत्र क्र./स.स्वा./09/2008

No 2533/P.A./DHS/20
Date 28/7/08 20

विषय :– ब्लाक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ करने के संबंध में।

— : 0 : —

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बी.एम.ओ. के पद पर कई स्थानों पर कनिष्ठ चिकित्सक पदस्थ है तथा वरिष्ठ उनके अधीन कार्य कर रहें है। प्रशासनिक दृष्टि से यह उचित नहीं है, जो वरिष्ठ चिकित्सक है और जिनका लोक सेवा आयोग में पहले चयन हुआ है उन्हें वरिष्ठ माना जायें और उनको बी.एम.ओ. के पद पर पदस्थ किया जायें।

यदि उनके द्वारा इस पद पर कार्य करने से स्वयं असमर्थता जताया जाती है, तभी निकटतम दूसरे कनिष्ठ को प्रस्ताव दिया जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी परिस्थिति में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को बी.एम.ओ. न बनाया जायें।

DDC(D)

(आर.एस.विश्वकर्मा)
सचिव, छ0ग0 शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक /पीएस/स.स्वा./2008

रायपुर, दिनांक : ....

प्रतिलिपि :–

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

C.M.&H.O.
Mahasamund
ATTESTED

(आर.एस.विश्वकर्मा)
सचिव, छ0ग0 शासन,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग